बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना,

प्रस्तावना :

भारत सरकार द्वारा हाथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं कियान्वित की जा रही है तथा बुनकरों में उद्यमियता का विकास, तकनीकी संबल,बेकवर्ड एण्ड फारवर्ड लिंकेजेज की स्थापना करने का भारत सरकार का लक्ष्य एवं प्रयास है और इसी कडी में भारत सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु बुनकर केडिट कार्ड योजना वर्ष 2014 से लागु है।

उद्देश्य :

बुनकरों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तथा उत्पाद लागत को कम करने के उद्येश्य से उपकरणों के कय करने हेतु उपयुक्त तथा समय पर बैंकिंग संस्थाओं से केडिट सुविधा उपलब्ध करवाना है।

पात्रताः

हाथकरघा बुनकर तथा सहायक काामगार (वर्कर) जो कि बुनाई गतिविधियों में संलिप्त है। इसमें नए ऋणी (बोरोवर) भी सम्मिलित है जो कि अन्यथा पात्र हो तथा बैंक्स की विद्यमान योजनाओं में प्रस्तावित गतिविधि करने हेतु पात्र हों।

विकास आयुक्त,(हाथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हाथकरघा बुनकरों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जनगणना में चिन्हित बुनकरों को प्राथमिकता दी जांवेगी। बुनकर केडिट कार्ड नही होने की स्थिति मे धागा, पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड की छाया प्रति अथवा महाप्रबन्धक,जिउके द्वारा जारी प्रमाण पत्र को पात्रता का आधार माना जायेगा।

कार्ड जारी करना :

योजनान्तर्गत बैंक द्वारा बुनकर को उनकी फोटो लगा एक बुनकर केढिट कार्ड जारी किया जावेगा जिसमें ऋण की सीमा तथा केडिट सुविधा की अवधि की वैधता अंकित होगी। साथ ही लाभार्थी को पासबुक /केडिट कम –पासबुक जारी किया जावेगा जिसमें लाभर्थी का संपूर्ण विवरण अंकित होगा ।

साख सुविधा का निर्धारणः

बुनकर द्वारा की जा रही बुनाई गतिविधि के लिए कार्यशील पूंजी की मांग एवं टूल्स व उपकरण की मांग के आधार पर ऋण सुविधा का निर्धारण होगा।

व्यक्तिगत बुनकर हेतु अधिकतम 2 लाख रू. तक की ऋण/ साख सुविधा होगी।

स्वीकृत साख सुविधा की वैधता अवधि 3 वर्ष होगी।

निरंतर....2